6061 — 194
28/9/15

संख्या 222 /XXXVI(1)/2015–184/2001 टी0सी0

प्रेषक,

महेश चन्द्र कौशिवा,
अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 22 सितम्बर, 2015

विषय : **मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति में नियमावली में व्यवस्थित लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के एक–एक पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0–160/XXXVI(1)/2015-184/2001 T.C दिनांक 04.07.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय विधि सेवा समिति हेतु नियमावली में व्यवस्थित 02 पद क्लर्क/02 पद अर्दली में से 01 पद क्लर्क तथा 01 पद अर्दली का (आउटसोर्सिंग) से भरें जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा नियमावली, 2006 के नियम–10(1) एवं (2) के आलोक में आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

2– इस सम्बन्ध में पुनः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तराखण्ड विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली, 2006 के नियम–10 सपठित परिशिष्ट–ख में क्लर्क के 02 एवं चपरासी के 02 पद विद्यमान होने के फलस्वरूप प्रस्तावित पदों हेतु पृथक से शासनादेश निर्गत किये जाने की आवश्यकता नही है। कृपया तदनुसार उपरोक्त पदों को नियमानुसार भरें जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
21.09.15
(महेश चन्द्र कौशिवा)
अपर सचिव

Admin B
Judl-1
28-9
Sri Tripathi
28/9/15

C:\Users\lenovo\Documents\Bhagwan folder\other file\Vividh letter2014.doc